गौरव दहिया (माइनर) अपने पिता बनाम केंद्र के माध्यम से

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली (तेजिंदर सिंह ढिंढसा, जे.)

तेजिंदर सिंह ढिंढसा के संमकस पहले जे.

गौरव दहिया (छोटा) अपने पिता के माध्यम से -

याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और

अन्य-प्रतिवादीगण

2019 का सीडब्ल्यूपी **No.6572**

12 मार्च, 2019

परीक्षा बाय-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कानून, नियम **14**-रिट ऑफ परमादेश उपस्थिति की कमी की निंदा-नियम **14** उपस्थिति की सिफारिश करने के लिए आधार निर्धारित करता है,माता पिता की लंबी बीमारी, पिता या माता की मृत्यु, समान गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण या प्रायोजित टूर्नामेंट, खेल सभाओं और एन. सी. सी. या एन. एस. एस. शिविरों में अधिकृत भागीदारी-आयोजित, एफ. आई. आर. में शामिल याचिकाकर्ता और हिरासत में रहे-उपस्थिति की कमी को माफ करने का कोई आधार नहीं है।

यह माना गया कि, प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि उपस्थिति की कमी के मामले में, यदि संस्थान के प्रमुख की राय में संबंधित उम्मीदवार विशेष विचार का हकदार है, तो वह उपस्थिति की कमी को दूर करने के लिए सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है और जिस पर सीबीएसई के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाrk है। निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवार के मामले की सिफारिश करने के लिए वैध माने जाने वाले कारणों को भी नियम 14 में ही चित्रित किया गया है, अर्थात लंबी बीमारी, पिता या माता की मृत्यु, समान गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण या प्रायोजित प्रतियोगिताओं, खेल प्रतियोगिताओं और एन. सी. सी. या एन. एस. एस.

शिविरों में अधिकृत भागीदारी ।यहां तक कि अध्यक्ष, सी. बी. एस. ई. में उपस्थिति को माफ करने का विवेकाधिकार भी नियम के तहत सीमित है ।केवल 15 प्रतिशत तक की कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है ।10 वीं या 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवारों के मामले में उनके दावे पर अध्यक्ष द्वारा माफी के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में और चिकित्सा आधार पर जैसे कि कैंसर, एड्स, टीबी या इसी तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित उम्मीदवारों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

(पैरा 6)

इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक प्राथमिकी में शामिल होने और मुकदमे का सामना करने के बाद और अंततः बरी होने के बावजूद, हिरासत में रहने के कारण कक्षाओं से उसकी अनुपस्थिति के कारण नियम 14 के तहत विचार की जाने वाली स्थितियों के तहत नहीं आते हैं, जिन पर उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए विचार किया जाना चाहिए ।यह ध्यान रखना उचित होगा कि सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों के नियम 14 को याचिका में कोई चुनौती नहीं दी गई है ।दिनांक 07.03.2019 (अनुलग्नक पी-6) का विवादित आदेश सी. बी. एस. ई. द्वारा बनाए गए परीक्षा उपनियमों के नियम 14 के खिलाफ नहीं है।

(पैरा 7)

जी. सी. धूरीवाला, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

तेजिंदर सिंह ढिंड्सा, जे. ओरल

(1) गौरव दहिया (नाबालिग) ने अपने पिता और प्राकृतिक अभिभावक श्री के माध्यम से तत्काल याचिका दायर की है। जिसमे प्रदीप दहिया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 07.03.2019 (अनुलग्नक पी-6) पर हमला करते हुए, उपस्थिति की कमी को क्षमा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया ।प्रत्यर्थी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को अनंतिम रोल नंबर जारी करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट की मांग की गई है ताकि वह मार्च 2019 के महीने में होने वाली 10 वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने में सक्षम हो सके।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक स्कूल,

दुजाना, जिला झज्जर, हरियाणा में 10 वीं कक्षा का छात्र है और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है ।याचिकाकर्ता को झज्जर के पुलिस स्टेशन में 21.09.2018 दिनांकित No.971 प्राथमिकी दर्ज करने के कारण 21.09.2018 को गिरफ्तार किया गया था ।उन्हें किशोर न्यायालय, झज्जर के समक्ष मुकदमे के लिए भेजा गया था, उनकी जन्म तिथि 05.01.2003 थी ।वह जुवेनाइल जेल/होम में 21.09.2018 से 21.02.2019 तक रहे ।रिट याचिका के साथ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झज्जर द्वारा पारित दिनांक 21.02.2019 कोs (अनुलग्नक पी-2) की प्रति संलग्न की गई है और जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता बरी कर दिया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने तुरंत 02.03.2019 को एक आवेदन जमा करके रोल नंबर जारी करने का अनुरोध करते हुए स्कूल के अधिकारियों से संपर्क किया ताकि वह मार्च 2019 के महीने में आयोजित होने वाली 10 वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हो सके ।याचिकाकर्ता को आवश्यक रोल नंबर देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि उसकी उपस्थिति कम हो गई है और यहां तक कि माफी के अनुरोध को भी दिनांक 07.03.2019 (अनुलग्नक पी-6) के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(3) वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने जुर्माना आदि के साथ पूरा बकाया/शुल्क स्कूल में जमा कर दिया था ।दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक और स्कूल के प्राचार्य द्वारा प्रवेश पत्र/रोल नंबर जारी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई को अनुशंसा पत्र भेजने के बावजूद, इसे अस्वीकार कर दिया गया है ।वकील आग्रह करते हैं कि प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और मनमाना है ।आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता उन परिस्थितियों के कारण 21.09.2018 से 21.02.2019 तक की अवधि के लिए हिरासत में रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं ।मुकदमा मेंsa बरी होने पर, याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताए गए समय को माफ कर दिया जाना चाहिए था।

(4) याचिकाकर्ता के वकील को विस्तार से सुनने और अभिलेख पर दलीलों का अध्ययन करने के बाद, इस अदालत का विचार है कि तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

(5) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा उपनियम बनाए हैं ।नियम 14 उपस्थिति की कमी की क्षमा को नियंत्रित करता है और निम्नलिखित शब्दों में पढ़ता है:-

"14. उपस्थिति की कमी को कम करने के लिए नियम

*(i) यदि किसी उम्मीदवार की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाती है, तो स्कूल का प्रमुख अस्थायी रूप से बोर्ड को उसका नाम प्रस्तुत कर सकता है। यदि उम्मीदवार अभी भी परीक्षा शुरू होने के तीन सप्ताह के भीतर उपस्थिति के आवश्यक प्रतिशत से कम है, तो संस्थान का प्रमुख तुरंत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा।यदि संस्थान के प्रमुख की राय में, उम्मीदवार विशेष विचार का हकदार है, तो वह सीबीएसई के अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में कमी को दूर करने के लिए परीक्षा शुरू होने से तीन सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है, जो आदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे।स्कूल के प्रमुख को उपस्थिति में कमी को दूर करने का अनुरोध करते हुए अपने पत्र में, कक्षा 10 वीं/12 वीं के शिक्षण शुरू करने के दिन (सत्र की शुरुआत) से गणना किए गए छात्र द्वारा अधिकतम संभव उपस्थिति, बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले के महीने की पहली तारीख तक, उपरोक्त अवधि के दौरान प्रश्न में उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति और ।

उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे उम्मीदवार की उपस्थिति का प्रतिशत देनि चाहिये।

**((2) अध्यक्ष द्वारा केवल 15 प्रतिशत तक की कमी को माफ किया जा सकता है।दसवीं या बारहवीं कक्षा में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवारों के मामलों पर, अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति की कमी को केवल चिकित्सा आधार पर बनाई गई असाधारण परिस्थितियों में ही माफ करने के लिए विचार किया जाएगा, जैसे कि उम्मीदवार कैंसर, एड्स, टीबी या इसी तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

((iii) प्रधानाचार्य या तो सिफारिशों के साथ या मामले की सिफारिश नहीं करने के वैध कारणों के साथ, माफी की उपरोक्त निर्धारित सीमा के भीतर कमी के मामले को बोर्ड को भेजेगा।

((iv) निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवारों के मामलों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है:

(ए) लंबी बीमारी;

(ख) पिता/माता की मृत्यु या ऐसी कोई अन्य घटना जिसके कारण वह विद्यालय से अनुपस्थित रहता है और जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए; और

(ग) समान गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण।(घ) प्रायोजित प्रतियोगिताओं और खेल प्रतियोगिताओं में कम से कम अंतर-विद्यालय स्तर पर और एन. सी.

सी./एन. एस. एस. शिविरों में ऐसी भागीदारी के लिए यात्रा के दिनों सहित अधिकृत भागीदारी को पूर्ण उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा।"

(6) प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि उपस्थिति की कमी के मामले में, यदि संस्थान के प्रमुख की राय में संबंधित उम्मीदवार विशेष विचार का हकदार है, तो वह उपस्थिति की कमी को दूर करने के लिए सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है और जिस पर सीबीएसई के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाता है। जिन कारणों को निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवार के मामले की सिफारिश करने के लिए वैध माना जा सकता है, उन्हें नियम 14 में ही चित्रित किया गया है, अर्थात लंबी बीमारी, पिता/माता की मृत्यु, समान गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण या प्रायोजित प्रतियोगिताओं, खेल प्रतियोगिताओं और एनसीसी/एनएसएस शिविरों में अधिकृत भागीदारी।

यहा तक कि अध्यक्ष, सी. बी. एस. ई. उपस्थिति को माफ करने के लिए नियम के तहत सीमित है।केवल 15 प्रतिशत तक की कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है।10 वीं या 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले उम्मीदवारों के मामले में उनके दावे पर अध्यक्ष द्वारा माफी के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में और चिकित्सा आधार पर जैसे कि कैंसर, एड्स, टीबी या इसी तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित उम्मीदवारों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

(7) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक प्राथमिकी में शामिल होने और मुकदमे का सामना करने के बाद और अंततः बरी होने के बावजूद, हिरासत में रहने के कारण कक्षाओं से उसकी अनुपस्थिति के कारण नियम 14 के तहत विचार की जाने वाली स्थितियों के तहत नहीं आते हैं, जिन पर उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।यह ध्यान रखना उचित होगा कि सी. बी. एस. ई. परीक्षा उपनियमों के नियम 14 को याचिका में कोई चुनौती नहीं दी गई है। दिनांक 07.03.2019 (अनुलग्नक पी-6) का विवादित आदेश सी. बी. एस. ई. द्वारा बनाए गए परीक्षा उपनियमों के नियम 14 के खिलाफ नहीं है।

(8) यहां तक कि वकील द्वारा दी गई यह दलील भी कि स्कूल अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद सीबीएसई अधिकारियों द्वारा उपस्थिति की कमी को माफ नहीं किया गया है, पूरी तरह से निराधार है।प्रत्यर्थी सं. 3 विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिनांकित और परीक्षा नियंत्रक, सी. बी. एस. ई., नई दिल्ली

(अनुलग्नक पी-5) को संबोधित संचार याचिकाकर्ता के मामले को ध्वस्त करने के बजाय प्रकृति में अनुशंसित होने का अनुमान लगाया गया है।अनुलग्नक पी-5 के अवलोकन से पता चलता है कि 21.09.2018 वह अंतिम दिन था जब याचिकाकर्ता स्कूल गया था।इसके बाद वह अनुपस्थित रहे और स्कूल द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर माता-पिता को बार-बार संदेश भेजे जाने के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।तदनुसार याचिकाकर्ता का नाम लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण स्कूल सूची से हटा दिया गया था।31.12.2018 पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति कुल अधिकतम संभव उपस्थिति 185 में से 100 थी।गौरव दहिया के माता-पिता ने 25.02.2019 पर स्कूल से संपर्क किया था और सूचित किया था कि गौरव स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसे गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में था और उसे 21.02.2019 पर हिरासत से रिहा कर दिया गया था।स्कूल के अधिकारियों ने बदले में माता-पिता को सूचित किया कि उपस्थिति की कमी के कारण गौरव को 10 वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि 25 02 2019 को उसकि उपस्थिति कुल अधिकतम संभव उपस्थिति 219 में से 100 थि A स्कूल के अधिकारियों ने आगे सलाह दी कि गौरव केवल पहली आवधिक परीक्षा में उपस्थित हुआ था ।

दूसरे और तीसरे आवधिक टेस्ट से उपस्थित नहीं था A उन्होंने लगभग 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया है और इस तरह उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई संभावना भी नहीं थी।दिनांकित 02.03.2019 (अनुलग्नक पी-5) से आगे पता चलता है कि केवल गौरव के माता-पिता और रिश्तेदारों के आग्रह पर ही उपस्थिति की कमी को माफ करने पर विचार करने का अनुरोध सीबीएसई अधिकारियों को भेजा गया था।(9) यहां तक कि स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी दिनांकित 02.03.2019 (अनुलग्नक पी-5) भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति को माफ करने की प्रार्थना और दावे का समर्थन नहीं करता है।उपस्थिति की कमी लगभग 70 प्रतिशत है।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को दिनांकित 07.03.2019 (अनुलग्नक पी-6) के विवादित आदेश में कोई पेटेंट दुर्बलता नहीं मिलती है।यह सी. बी. एस. ई. द्वारा बनाए गए परीक्षा उपनियमों के नियम 14 के साथ असंगत है।

(11) कोई योग्यता नहीं है।

(12) बर्खास्त कर दिया।

ऋतंभ्र ऋषि

असवीकरण:- सथानिय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अनय उदेशय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता । सभी वयवहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिये निर्णय का अगरेजी सनसकरण परमाणिक होगा और निषपादन और कारयानयन के उदेशयो के लिये उपयुकत रहेगा ।

राज कुमार

अनुवादक